

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235118
SG-DL-E-13042022-235118असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	दिल्ली, गंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 14
No. 232]	DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944	[N. C. T. D. No. 14

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

फा. सं. 16(1)/श0वि0/जल/2000-01/पार्ट फाइल/378-383.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 3 की उपधारा 2(i) तथा उपधारा (5) के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, श्री सौरभ भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा को उपाध्यक्ष के रूप में, इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं0 फा0 16(1)/श0वि0/दि.ज.बो./98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड में उनके संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए या विधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत समयावधि समाप्त होने तक, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.वी.प्रेम नाथ, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th April, 2022

F. No(16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/378-383.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of sub-section (2)(i) and sub-section (5) of section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Sh. Saurabh Bharadwaj, Member, Delhi Legislative Assembly, nominated by the Speaker, Delhi Legislative Assembly as Vice Chairman in the Delhi Water Board, Delhi constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998, for a period of two years with effect from the date he assume charge of his respective office, or till he ceases to be a member of the Legislative Assembly, as the case may be.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
A.V. PREM NATH, Jt. Secy. (UD)